# छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी, 2010 (पौष-25,1931)

समय 11:00 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत प्रदाय अधिनियम,1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य, बस्तर संभाग के धान खरीदी केन्द्रों से धान उठाव न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, सारंगढ़ बन मंडल, रायगढ़ अंतर्गत गोमर्डा अभ्यारण्य में वन्य प्राणियों का अवैध शिकार किये जाने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री देवजी पटेल, सदस्य, राजधानी रायपुर में आर्टेल कम्पनी द्वारा बिना अनुमति के केबल वायर डालकर राजस्व की चोरी किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री देवजी पटेल,सदस्य, प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री नंद कुमार पटेल सदस्य, प्रदेश में मलेरिया से अनेक लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री नंद कुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला जशपुर एवं रायगढ़ की आदिवासी युवतियों को प्लेसमेन्ट कम्पनियों द्वारा महानगरों में ले जाया जाकर शोषण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश में हत्या व बैंक लूटने की घटना में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश के जशपुर तथा सरगुजा जिले में हाथियों द्वारा जन-धन की हानि पहुंचाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश के सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे गये धान की सुरक्षा का इंतजाम न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. शक्राजीत नायक, सर्वश्री कुलदीप सिंह जुनेजा, नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश में नकली एवं जहरीली खाद्य सामग्रियों की बिक्री की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जिला अम्बिकापुर में खाद्यान्न तथा मिट्टी तेल की कालाबाजारी किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, कोरबा तथा जशपुर जिले में महिलाओं के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमश: .... 2

## 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत -
- (i) विकासखण्ड अकलतरा के ग्राम तरौद में हाईस्कूल खोलने,
- (ii) विकासखण्ड अकलतरा के ग्राम कोटगढ़ में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने,
- (iii) नगर पंचायत बलौदा के वार्ड क्रमांक-15 में प्राथमिक शाला खोलने,

(2) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
- (i) ग्राम पंचायत पकरिया के आश्रित ग्राम महका में नाले पर पुल निर्माण करने,
- (ii) ग्राम डिघोरा में नाले पर पुल निर्माण करने

(3) श्री अमरजीत भगत, सदस्य, जिला सरगुजा अंतर्गत -
- (i) विकासखण्ड सीतापुर के ग्राम टोकोपारा से रायकेरा मार्ग पर माड़ नदी पर पुल निर्माण करने,
- (ii) विकासखण्ड मैनपाट के ग्राम पेंट में हाई स्कूल खोलने

**के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.**

## 5. मंत्री का वक्तव्य

श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, प्रदेश में गन्ने से गुड़ बनाने पर प्रतिबंध समाप्त करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

## 6. महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री नारायण चंदेल, सदस्य द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 2010 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः) :-

"महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

## 7. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

1 घंटा (1) श्री महंत रामसुन्दर दास, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं आंतरिक सड़कों के दोनों किनारों में वृक्षारोपण किया जाकर उनका संरक्षण, संवर्धन किया जाय."

1 घंटा (2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में मांगे जाने वाले दस्तावेजों का सरलीकरण किया जाय."

30 मिनट (3) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 341 एवं 342 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची सरल क्रमांक-41 पर सवर, सवरा के साथ संवरा एवं सौंरा के अतिरिक्त सौरा, सउरा, सहरा को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाय."

रायपुर
दिनांक 14 जनवरी, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.